—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 45/2021

उनवान

1. मंगला पुत्र उगमा
2. सोहनी पुत्री उगमा
3. सायरी पुत्री उगमा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा नसीराबाद

—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री रमेश रावत

बनाम

1. चांदमल पुत्र छोगा
2. रामकरण पुत्र चौथू
3. गीता पत्नी श्यामलाल
4. संजय
5. नितेश
6. हितेश पि. श्यामलाल समस्त जाति कुम्हार निवासी नान्दला, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :— 7 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

8. तेजू पत्र उगमा
9. तीजी पत्नी रतन
10. महावीर ना.बा.
11. मनोज ना.बा.
12. जसवन्त ना.बा. पि. रतन जरियें संरक्षक माता तीजी समस्त जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा नसीराबाद

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 5.2.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला की निम्न आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के पिता/दादा/ससुर उगमा पुत्र छीतर की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
2464	0—9—10	2834	0—9—10	2527	0.03
2465	3—2—10	2835	3—2—10	2528	0.02
2467	1—3—0	2837	1—3—0	2530	0.51
2467	1—18—0	2839	1—18—0	2862	0.50
2467	0—10—0	2840	0—10—0	2693	0.08
2468	0—2—0				

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्त आराजी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 से 12 पिता/दादा/ससुर ने 4000/ रूपये में दिनांक 12.02.1981 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता/दादा/ससुर छोगा पुत्र मोडा कुम्हार ने जरियें पंजीबद्व विकय पत्र बैचान कर कब्जा सौप दिया था। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 8 से 12 ने 10/ के नयायिक स्टाम्प पर इस आशय की लिखित दी है कि ग्राम नान्दला व भवानीखेडा की पैतृक सम्पति पर वादी संख्या 1 मंगला का ही कब्जा काश्त रहेगा। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का कोई हक व कब्जा नही है। बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त आराजी बिना किसी आदेश के त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिसटर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 से 12 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 2528 व 2527 की किस्म गै.मु. रास्ता है, जो आर.टी.ए. की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित किस्म की भूमि है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्व की विधिवत कयशुदा है ?

—— वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. आया आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.03 व 2528 रकबा 0.02 की किस्म गै0मु0 रास्ता धारा 16 रा. काश्त. अधि. 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में होने से वाद चलने योग्य नही है ?

—— राज. पैरोकार

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी मंगला व गवाह छीतर व काना का शपथ पत्र पेश किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेा करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार ग्राम नान्दला के चौसाला खसरा नम्बर 2464, 2465, 2467, 2468 के वर्किंग खसरा नम्बर 2834, 2835, 2837, 2839, 2840 की आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज छोगा पुत्र मोडा कुम्हार ने वादीगण के पूर्वज उगमा पुत्र छीतर को विकय कर दी थी। वादीगण ने उक्त आराजी का चौसाला व वर्किंग जमाबंदी प्रस्तुत की है। निष्पादित किया गया। चौसाला जमाबंदी व वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी विकेता के

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नाम खातेदारी दर्ज नही होकर सिवायचक दर्ज है। विक्रेता छोगा पुत्र मोडा द्वारा उक्त आराजी विक्रय दिनांक अथवा बाद में भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज नही थी। हाल राजस्व अभिलेख में भी भूमि सिवायचक दर्ज है। विक्रेता द्वारा सिवायचक आराजी का बैचान किया है। आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज की विधिक क्रयशुदा सिद्व नही होती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज की विधिक क्रयशुदा सिद्व नही होती है। वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है किन्तु आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज को ही दोहराया है। राज. पैरोकार के जवाब के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.03 व 2528 रकबा 0.02 की किस्म गै0मु0 रास्ता धारा 16 रा. काश्त. अधि. 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में होने से वाद चलने योग्य नही है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 रास्ता है, रास्ते की भूमि पर किसी भी परिस्थिति में खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। आराजी मुतनाजा आरम्भ से ही सिवायचक है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.03, 2528 रकबा 0.02, 2530 रकबा 0.51, 2682 रकबा 0.50, 2693 रकबा 0.08 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंगला बनाम चांदमल

दावा बाबत :– 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 45/2021
पेश करने की दिनांक – 09.04.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.03, 2528 रकबा 0.02, 2530 रकबा 0.51, 2682 रकबा 0.50, 2693 रकबा 0.08 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद